कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

।। आदेश।।

क्रमांक 199 /दो–22–3/95 राजगढ़ दिनांक 15 /05/2026

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिए वर्ष 2026 में दिनांक 18.05.2026 से 12.06.2026 तक घोषित किए गए ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में निम्नांकित सारणी के स्तम्भ क्रमांक 2 में वर्णित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ क्रमांक 3 में वर्णित अवधि का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है :–

क्रं.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश मय मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति
(1)	(2)	(3)
	जिला मुख्यालय, राजगढ़	
01.	श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष न्यायाधीश (अनन्य न्यायालय) एससी/एसटी (पीए एक्ट), राजगढ़	**दिनांक 18.05.2026 से 23.05.2026 तक कुल 06 दिवस** का ग्रीष्मकालीन अवकाश, दिनांक 15.05.2026 के न्यायालयीन समय पश्चात से 25.05.2026 के न्यायालयीन समय पूर्व तक **एवं दिनांक 01.06.2026 से दिनांक 05.06.2026 तक कुल 05 दिवस** का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 30.05.2026 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 08.06.2026 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
02.	डॉ. लखनलाल गोस्वामी, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, राजगढ़	**दिनांक 18.05.2026 से 30.05.2026 तक कुल 13 दिवस** का ग्रीष्मकालीन अवकाश, पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती सार्वजनिक अवकाश को जोडते हुए मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
03.	श्री सुरेश कुमार शर्मा, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, राजगढ़	**दिनांक 01.06.2026 से 12.06.2026 तक कुल 12 दिवस** का ग्रीष्मकालीन अवकाश, पूर्ववर्ती सार्वजनिक अवकाश को जोडते हुए दिनांक 30.05.2026 के न्यायालय समय पश्चात से दिनांक 12.06.2026 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
	तहसील न्यायालय ब्यावरा	
04.	श्री अमजद अली, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ब्यावरा	**दिनांक 25.05.2026 से 05.06.2026 तक कुल 12 दिवस** का ग्रीष्मकालीन अवकाश, पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती सार्वजनिक अवकाश को जोडते हुए मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
05.	श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ब्यावरा	**दिनांक 01.06.2026 से 12.06.2026 तक कुल 12 दिवस** का ग्रीष्मकालीन अवकाश, पूर्ववर्ती सार्वजनिक अवकाश को जोडते हुए दिनांक 30.05.2026 के न्यायालय समय पश्चात से दिनांक 13.06.2026 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
06.	श्री हेमंत सिंह, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ब्यावरा	**दिनांक 18.05.2026 से 23.05.2026 तक कुल 06 दिवस** का ग्रीष्मकालीन अवकाश, पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती सार्वजनिक अवकाशों को जोडते हुए दिनांक 15.05.2026 के न्यायालय समय पश्चात से दिनांक 25.05.2026 के न्यायालयीन समय पूर्व तक **एवं दिनांक 08.06.2026 से 12.06.2026 तक कुल 05 दिवस** का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 05.06.2026 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 13.06.2026 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
	तहसील न्यायालय सारंगपुर	
07.	श्री तरूण सिंह, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सारंगपुर	**दिनांक 01.06.2026 से 12.06.2026 तक कुल 12 दिवस** का ग्रीष्मकालीन अवकाश, पूर्वेवर्ती सार्वजनिक अवकाश को जोडते हुए दिनांक 30.05.2026 के न्यायालय समय पश्चात से दिनांक 13.06.2026 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
08.	श्री अतुलराज भलावी, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सारंगपुर	**दिनांक 18.05.2026 से 29.05.2026 तक कुल 12 दिवस** का ग्रीष्मकालीन अवकाश, पूर्वेवर्ती सार्वजनिक अवकाश को जोडते हुए दिनांक 16.05.2026 से 30.05.2026 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।

तहसील न्यायालय नरसिंहगढ		
09.	कु. उर्मिला यादव, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहगढ	**दिनांक 18.05.2026 से 30.05.2026 तक कुल 13 दिवस** का ग्रीष्मकालीन अवकाश, पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती सार्वजनिक अवकाश को जोडते हुए दिनांक 15.05.2026 के न्यायालयीन समय पश्चात से दिनांक 01.06.2026 को न्यायालय समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।
10.	श्री गौरव अग्रवाल, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहगढ	**दिनांक 01.06.2026 से 12.06.2026 तक कुल 12 दिवस** का ग्रीष्मकालीन अवकाश, दिनांक 30.05.2026 के न्यायालय समय पश्चात से दिनांक 13.06.2026 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।

उपरोक्त सभी न्यायिक अधिकारीगण ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में कार्यविभाजन पत्रक अनुसार आवश्यक कार्य संपादित करेंगे।

-sd-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

पृष्ठां. क्रमांक 1400/दो–22–3/95 राजगढ़ दिनांक 15/05/2026

प्रतिलिपि :–

01. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, राजगढ़/ब्यावरा/सारंगपुर/नरसिंहगढ की ओर ई–मेल के माध्यम से प्रेषित।
02. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, राजगढ़/ब्यावरा/सारंगपुर/नरसिंहगढ़ की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त अनुभागों के प्रभारी, वरिष्ठ/कनिष्ठ के मध्य आदेश परिचालित कराया जाना सुनिश्चित करें।
03. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, राजगढ़/ब्यावरा/सारंगपुर/नरसिंहगढ़।
04. निज सहायक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़।
05. जे.एस.ए. कम्प्यूटर अनुभाग, राजगढ़ की ओर से प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित न्यायिक अधिकारी एवं तहसील मुख्यालय की ई–मेल आई.डी. पर प्रेषित तथा वेवसाइड अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
06. लेखापाल/सहायक लेखापाल/सांख्यिकीय लेखक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.